

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

183 of
2017

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

019/05/2017

आवेदक/अभियुक्त प्रमोद गुप्ता द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

इस जमानत आवेदन से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 04/17 राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा बनाम संतोष शर्मा आदि का मूल अभिलेख निकलवाया गया।

आवेदक प्रमोद गुप्ता के जमानत आवेदन के साथ उसकी पत्नी श्रीमती वंदना गुप्ता का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया गया है कि प्रमोद गुप्ता का यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न निरस्त किया गया है।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह दो माह से निरोध में है। उसके परिवार में अन्य कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, जिससे पत्नी, पुत्र व पुत्री का भरण पोषण सहित पुत्री की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। अपराध मृत्युदण्ड या अजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से मौखिक रूप से घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा विशेष सत्र प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.03.17 को रात्रि 11:30 बजे के लगभग पुलिस थाना गोहद चौराहे के दौरान इलाका भ्रमण मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस बल कनीपुरा चौराहे पर पहुंचा तो सी.डी.डीलक्स मोटरसाइकिल बिना नंबर की आई जिस पर तीन लोग बैठे थे, रोकने पर उन्होंने भागने का प्रयास किया। तलाशी लेने पर

पीछे बैठे व्यक्ति के पिट्टू बैग में पांच 32 बोर की पिस्टल तथा 32 बोर के बीस राउण्ड मिले, उससे हथियारों को रखने का लाइसेंस चाहा तो न होना बताया तथा नाम पूछने पर अपना नाम संतोष शर्मा पुत्र सरनाम शर्मा होना बताया। बीच में बैठे व्यक्ति के हाथ में लिए सफेद रंग के थैले को चैक किया तो तीन पिस्टल तथा दो कट्टे मिले जिससे हथियार रखने का लाइसेंस चाहा तो न होना बताया, नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रमोद गुप्ता पुत्र प्रेमदास गुप्ता निवासी इन्द्रगढ़ दतिया का होना बताया। मोटरसाइकिल चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम अविनाश सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह राजावत निवासी लहार का होना बताया। मौके पर ही जप्ती व गिरफ्तारी की गई। अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त हथियार क्षेत्र में फरारी बदमाश जितेन्द्र सिंह राजावत व अन्य फरारी बदमाशों को बिक्रय करने हेतु लाए थे। थाना वापसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई तथा अपराध क्रमांक 28/17 अंतर्गत धारा-25(1)(ए) एवं 27 आयुध अधिनियम तथा धारा-11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक प्रमोद का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की सत्य प्रतिलिपि विशेष सत्र प्रकरण क्र0-04/2017 में संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(मोहम्मद अजहर)

विशेष न्यायाधीश (डकैती)

गोहद जिला भिण्ड